बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800001

आवश्यक सूचना

67वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया गया है, जिसे आयोग के वेबसाईट www.bpsc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन करने के समय Registration, Payment तथा आवेदन भरने की प्रक्रिया एक साथ पूर्ण की जा सकती है। उक्त परीक्षा माह दिसम्बर, 2021 के उत्तरार्द्ध में संभावित है।

उक्त प्रकाशित विज्ञापन में विस्तृत/महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए है। प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व उम्मीदवार विज्ञापन का बारीकी से पूर्ण अध्ययन कर लें। **कुछ महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत है :–**

1. प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।
3. आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न की उनके पति के नाम से।
4. उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही–सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा।
5. अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।
6. बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का दावा करने वाले अभ्यर्थी को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक– 11687, दिनांक– 30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए (स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नहीं है)।
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे।
8. निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
10. आवेदक को प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इससे संबंधित प्रमाण–पत्र/औपबंधिक प्रमाण पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना आवश्यक है।
11. प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाईन आवेदन भरते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय एवं सभी भाषेत्तर विषयों के उत्तर के लिए तीन भाषाओं में से किसी एक भाषा का चयन करना अनिवार्य होगा। उक्त में किसी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
12. प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि को आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद दस दिनों तक Edit कर सकते है। Edit करने की अवधि के पश्चात सुधार हेतु कोई अभ्यावेदन विचारणीय नहीं होगा।
13. ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने के क्रम में भिन्नता पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

25.9.21

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना